



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 22, 2012/आश्विन 30, 1934

No. 538]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2012/ASVINA 30, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 779(अ).— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 31 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अर्हताओं को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ— (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियुक्ति की प्रक्रिया और उपाध्यक्ष की अर्हताएं) नियम, 2012 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. वेतन और भत्ते— उपाध्यक्ष को वेतनमान 67,000 रु. - 79,000 रु. (उच्च प्रशासनिक ग्रेड + वेतनमान) तथा 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि के अनुसार वेतन प्राप्त होगा।
3. आयु सीमा— नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. नियुक्ति की प्रक्रिया और अवधि— नियुक्ति, कार्यकाल के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) अधिकतम चार वर्ष के लिए या 60 वर्ष तक की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो, होगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें वर्तमान नियुक्ति के ठीक पहले केन्द्र सरकार के इस्ती या अन्य संगठन या विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अंतर्गत उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति पात्र होगा जो

(क) केन्द्र या राज्य सरकार या स्वायत्त संगठन या विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पद पर अधिकारी हो—

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित सेवा के आधार पर स दृश या समकक्ष पदों पर; अथवा

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में 3 वर्ष की नियमित सेवा के आधार पर 10,000 रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400-67,000 रु. के वेतनमान के पद पर, और

(iii) जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों:—

(क) अनिवार्य—

(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टोरल उपाधि; और

(ii) किसी भी राज्य या केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थान में प्रोफेसर या उसके समकक्ष पद पर कार्यानुभव;

अथवा

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार में स्कूल/अध्यापक शिक्षा में 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

(ख) वांछनीय—

(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में डॉक्टोरल उपाधि;

(ii) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री;

(iii) प्रभावशाली शैक्षणिक प्रत्यय-कर;

(iv) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव;

(v) विशेषतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं में प्रकाशन;

(vi) प्रशासनिक, संगठनात्मक एवं नेतृत्व की सामर्थ्य का प्रदर्शन किया हो।

6. चयन समिति का गठन— चयन, चयन समिति की संस्तुति पर होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—

(क) अध्यक्ष— जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;

- (ख) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के दो प्रमुख जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, सदस्य होंगे;
- (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से बाहर के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
- (घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद-सदस्य

7. अयोग्यता— कोई भी व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है; या
- (ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पति/पत्नी जीवित है, वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करता है अथवा विवाह के लिए संविदा करता है;

उक्त पद के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि इस प्रकार का विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अंतर्गत अनुमत्य है एवं इस प्रकार का कार्य करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है।

8. छूट का अधिकार— जहां भी केन्द्र सरकार का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति के लिए इन नियमों के किन्हीं भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

9. व्यावृत्ति— इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 61-49/2003-ईई-10]

डॉ. अमरजीत सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2012

G.S.R. 779(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) the Central Government hereby makes the following rules regulating the manner of appointment and qualifications of the Vice-Chairperson of the National Council for Teacher Education, namely :—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Council for Teacher Education (Manner of Appointment and Qualifications of Vice-Chairperson) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Pay and Allowances.** - The Vice-Chairperson shall receive pay in the pay scale of Rs.67,000 -Rs.79,000 (Higher Administrative Grade plus Scale) with annual increment at the rate of 3 percent.

3. **Age Limit.** – The maximum age limit of appointment shall be not exceeding fifty six years as on the last date for the receipt of application.

4. **Manner and period of appointment** – The appointment shall be made by deputation (including short term contract) on tenure basis for a maximum period of four years or till the age of sixty years , whichever is earlier.

Explanation .- For the purpose of this rule, the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. **Educational and other qualifications.- No person shall be eligible for being appointed as the Vice-Chairperson** under clause (b) of sub-section (4) of section 3 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, unless -

(a) he is an officer of the Central Government or State Governments or autonomous organization or University, holding -

(i) analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) a post in the Pay Band of Rs37400-Rs.67000 with Grade Pay Rs. 10000 or equivalent with 3 year of regular service in the grade in the parent cadre or department and

(iii) possessing the following qualifications namely :-

(A) Essential

(i) Doctoral Degree from a recognised university ; and

(ii) experience of working as a Professor or equivalent in State or Central University or educational institution of State or Central Government;

Or

3 years' administrative experience in school/teacher education in the Central or , State Government

(B) Desirable

(i) Doctoral degree in Education from a recognized university ;

- (ii) Masters degree from a recognized university with First Class;
- (iii) impressive academic credentials;
- (iv) experience in the field of teacher education;
- (v) publications in journals, especially in journals of education, of national and international repute;
- (vi) demonstrated administrative, organisational and leadership capability.

6. The composition of Selection Committee- The selection shall be made on the recommendation of the Selection Committee consisting of -

- (a) Chairman - to be nominated by the Central Government ;
- (b) two Heads of Institutions of the Central Educational Institutions or Central Universities or Central autonomous bodies - to be nominated by the Central Government - Members;
- (c) two eminent persons from outside the Ministry of Human Resource Development and its subordinate offices - to be nominated by the Central Government- Members.
- (d) Chairperson, NCTE- Member.

7. Disqualification. - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F.No. 61-49/2003-EE-10]

Dr. AMARJIT SINGH, Addl. Secy.

4018 GE/12-2